

गूगल के वरिद्ध अवशिवास की जाँच

प्रलिस के लयि

भारतीय प्रतसिपरद्धा आयोग, गूगल पे, गूगल प्ले

मेन्स के लयि

भारतीय में बाज़ार में अनुचति प्रतसिपरद्धा से संबंघति चुनौतयिँ और इनसे नपिटने में भारतीय प्रतसिपरद्धा आयोग की भूमकिा

चर्चा में क्यौँ?

भारतीय प्रतसिपरद्धा आयोग (CCI) ने दगिगज इंटरनेट कंपनी गूगल के वरिद्ध भारत में अपने मोबाइल भुगतान एप 'गूगल पे' को गलत तरीके से बढ़ावा देने के लयि बाज़ार में अपनी मज़बूत स्थतििका दुरुपयोग करने को लेकर जाँच का आदेश दयिा है।

प्रमुख बदि

- इस संबंघ में जारी आदेश में कहा गया है कि आयोग प्रथम दृष्टया मानता है कि गूगल ने प्रतसिपरद्धा अधनियम, 2002 की धारा 4 के वभिनिन प्रावधानों का उल्लंघन कयिा है, इसलयि इसकी जाँच करना अनविर्य है।
 - धयातव्य है कि प्रतसिपरद्धा अधनियम, 2002 की धारा 4 कसिी भी कंपनी द्वारा बाज़ार में अपनी मज़बूत स्थतििका दुरुपयोग करने से संबंघति है।
- भारतीय प्रतसिपरद्धा आयोग (CCI) ने महानदिशक को 60 दिनों के भीतर जाँच समाप्त करने और रपिर्ट प्रस्तुत करने का नरिदेश दयिा है।
- **कारण**
 - भारतीय प्रतसिपरद्धा आयोग (CCI) द्वारा यह आदेश कसिी सूचनादाता द्वारा की गई शकियत के आधार पर जारी कयिा गया है, जसिमें आरोप लगाया गया था कि गूगल द्वारा अलग-अलग अवसरों पर अपने मोबाइल भुगतान एप को बढ़ावा देने के लयि बाज़ार में अपनी मज़बूत स्थतििका दुरुपयोग कयिा गया है।
 - भारतीय प्रतसिपरद्धा आयोग (CCI) द्वारा ऐसी दो स्थतियिों की जाँच की जाएगी, जसिमें पहला है एंड्राइड ओएस स्मार्ट फोन में 'गूगल पे' का पहले से इंस्टॉल होना और दूसरा है एप डेवलपरस द्वारा भुगतान के लयि प्रयोग कयिे जाने वाला गूगल प्ले स्टोर का इन-एप बलिगि फीचर।
 - यह नरिणय ऐसे समय में आया है जब पेटीएम (Paytm) समेत कई अन्य भारतीय स्टार्ट-अप्स एक साथ मलिकर दगिगज कंपनी गूगल का वरिध कर रहे हैं, क्यौँकि गूगल की नीतिके मुताबकि 'गूगल प्ले स्टोर' पर जो भी एप 'इन-एप प्रचेज़' (In-App Purchases) फीचर के माध्यम से अपना डिजिटल कंटेंट बेचेंगे उन्हें अनविर्य रूप से गूगल प्ले का बलिगि ससि्टम प्रयोग करना होगा, साथ ही उन्हें 30% शुल्क भी देना होगा।
 - इस तरह अत्यधिक शुल्क प्रदान करने से गूगल के प्रतसिपरद्धयिों की लागत स्वयं ही बढ़ जाती है।

गूगल पे?

- गूगल पे, प्रसदिध टेक कंपनी गूगल द्वारा नरिमति एक मोबाइल भुगतान एप (Mobile Payment App) है, जो कि उपयोगकर्त्ताओं को एक बैंक से दूसरे बैंक में धनराशि भेजने और बलि जमा करने जैसी सुवधिाएँ प्रदान करता है।
- भारतीय डिजिटल पेमेंट बाज़ार में इसका मुकाबला सॉफ्टबैंक समरथति पेटीएम (Paytm) और वॉलमार्ट के फोन पे (PhonePe) जैसे एप से है।

गूगल प्ले?

- गूगल प्ले, एंड्रॉइड संचालति स्मार्टफोन, टैबलेट, टीवी और इसी तरह के उपकरणों पर उपयोग कयिे जाने वाले एप्स, कतिाबों, फलिमों तथा अन्य डिजिटल कंटेंट को खरीदने एवं डाउनलोड करने के लयि एक प्रकार का ऑनलाइन स्टोर या एंड्राइड बाज़ार है, जसि गूगल द्वारा बनाया गया है।

गूगल के वरिद्ध अवशिवास के अन्य मामले

- ध्यातव्य है कि इससे पूर्व मई माह में भी गूगल पर अपने मोबाइल भुगतान एप का अनुचित उपयोग करने का आरोप लगाया गया था, जिस मामले में भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग (CCI) ने गूगल के वरिद्ध फैसला दिया था। हालाँकि वर्तमान जाँच में गूगल के मोबाइल भुगतान एप के साथ-साथ गूगल प्ले के बलिगि सिस्टम की भी जाँच की जाएगी।
- पछिले वर्ष CCI ने गूगल पर एक अन्य मामले में जाँच प्रारंभ की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि गूगल मोबाइल निर्माता कंपनियों द्वारा एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम (Android Mobile Operating System) के वैकल्पिक संस्करणों को चुनने की क्षमता को कम करने के लिये बाज़ार में अपनी मज़बूत स्थिति का प्रयोग करता है।
- वर्ष 2018 में CCI ने गूगल पर 'ऑनलाइन सर्च में पक्षपात' करने के मामले में 136 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था, हालाँकि यह मामला अभी भी नेशनल कंपनी लॉ अपीलैट ट्रिब्यूनल के समक्ष लंबित है।
- वदिति हो कि गूगल एकमात्र कंपनी नहीं है, जिसे अवशिवास के मामलों की जाँच का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ एक ओर गूगल को अपने प्रतस्पर्द्धात्मक व्यवहार के लिये यूरोपीय संघ में जाँच का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका में भी कई बार गूगल के वरिद्ध अवशिवास को लेकर जाँच की गई है।

भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग (CCI)

- यह भारत सरकार के तहत सांघिकि निकाय है, जिसका गठन मुख्य तौर पर प्रतस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 के प्राधानों को सही ढंग से लागू करने के लिये 14 अक्टूबर, 2003 को किया गया था।
- इसका मुख्य कार्य ऐसी प्रथाओं को समाप्त करना है, जिनका बाज़ार की प्रतस्पर्द्धा और संवर्द्धन शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। इस तरह यह आयोग उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और भारतीय बाज़ार में व्यापार की स्वतंत्रता बनाए रखने की दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण है।
- भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग के सदस्यों की कुल संख्या 7 (एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य) निर्धारित की गई है, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/ci-to-probe-google-abuse-of-position>

